

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय,  
बगहा, प0 चम्पारण।

**Naurangiya P.S. No.- 15/2016**

**G.R. No.- 543/2016**

**C.I.S. No.-6088/2016**

**04.06.2026**

अभिलेख अनुसंधानक द्वारा समर्पित अंतिम प्रतिवेदन संख्या— 44/2018 दिनांक 10.06.2018 पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन पर सहायक लोक अभियोजन अधिकारी को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले की प्राथमिकी अंतर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड विधान एवं 27 शस्त्र अधिनियम के तहत अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की गई है।

अनुसंधान के पश्चात अनुसंधानक द्वारा मामला सत्य सुत्रहीन पाते हुए, अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अंतिम प्रतिवेदन पर सुनवाई हेतु सूचक के विरुद्ध नोटिश निर्गत किया गया, जिसका तामिला प्रतिवेदन संलग्न है। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 26.04.2016 को सूचक द्वारा विरोध पत्र दाखिल किया गया है। परन्तु आज बार बार पुकार पर न तो सूचक स्वयं उपस्थित हुआ और न ही सूचक की ओर से कोई विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

प्राथमिकी, अंतिम प्रतिवेदन एवं कांड दैनिकी में वर्णित तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचारोपरांत न्यायालय यह पाती है कि प्रस्तुत मामले में आदेशिका निर्गत किए जाने हेतु सामग्री नहीं है। परिणामतः अनुसंधानक द्वारा समर्पित अंतिम प्रतिवेदन संख्या— 44/2018 दिनांक 10.06.2018 को स्वीकृत किया जाता है तथा प्रस्तुत वाद की कार्यवाही सूचक के द्वारा दिनांक 26.04.2016 को दाखिल विरोध पत्र को परिवादपत्र के रूप में प्रारंभ किया जाता है। कार्यालय लिपिक सूचक के द्वारा दिनांक 26.04.2016 को दाखिल विरोध पत्र को परिवादपत्र के रूप में दर्ज करने हेतु अभिलेख अविलंब संबंधित न्यायालय को भेजे।

आदेशित

Sd/-

अविनाश कुमार

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय,  
बगहा, प0 चम्पारण।

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| आदेश की तिथि               | 04.06.2026                   |
| आदेश सुरक्षित रखने की तिथि | कुछ नहीं                     |
| आदेश अपलोड करने की तिथि    | 04.06.2026                   |
| अपलोड करने वाला            | कोर्ट रीडर-कम-डिपोजिशन राईटर |